

23/18

दि. 25-4-18 को पेश की

3.

25-418

पञ्जाब का पत्रावली राजस्व लोड  
संख्या राजपत्रीय/प्रमाणन नोंदों व  
संख्या अधिसूचना 2018 में वास्त है  
पञ्जाबली अग्रिम आवेदन दि० 12-6-18  
को पेश हो। वत

12-6-18

पञ्जाबली राजस्व लोड अदालत 2018 ग्रा-पे  
रजकात में पेश हुआ। उभयपक्षों की उपस्थिति  
में जी. डी. शर्मा ने पत्रावली राजस्व लोड  
के सम्बन्ध में पेश हुआ। उभयपक्षों की सहमति से  
वाद स्वीकार किया जाता है। विन्दत सिविल  
प्रकार से लिखा गया। शामिल पञ्जाबली राजपत्रीय  
पैदल शुभार होकर गवर्नर के कमरे तथा  
दफ्तर दाखिल है।

3  
12/6/18  
पञ्जाब का पत्रावली राजस्व लोड  
संख्या राजपत्रीय/प्रमाणन नोंदों व  
संख्या अधिसूचना 2018 में वास्त है  
पञ्जाबली अग्रिम आवेदन दि० 12-6-18  
को पेश हो। वत

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :-15/2017

निर्णय दिनांक:-12.06.18

## उनवान

राजूलाल पुत्र केसरलाल जाति बैरवा निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई

- वादी

## बनाम

1. जगदीश पुत्र गौरु जाति रैगर निवासी रजवास तहसील निवाई
2. मीरा बैवा गौरु जाति रैगर निवासी रजवास तहसील निवाई
3. तहसीलदार निवाई

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा  
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

## निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 ग्रा.पं. रजवास में पेश हुयी। उभयपक्षों की उपस्थिति में पी.डी. रिपोर्ट तैयार होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश हुई। उभयपक्षों की सहमति से वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. जगदीश पुत्र गौरु मीरा बैवा गौरु कोम रैगर सा. रजवास

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
रजवास	1908/7	05-00

2. राजूलाल पुत्र केसरलाल कोम बैरवा सा. कस्बा निवाई

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा
रजवास	1908/8	01-05

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/18  
हरिताम कुमार आदित्य  
(आर.ए.एस.) टोंक  
उपखण्ड अधिकारी निवाई  
कस्बा निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी जिला टोंक  
(डिकी मुकदमा इब्दादाई)  
(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी )  
उनवान  
राजूलाल बनाम जगदीश वगै,  
दावा बाबत तकासमा  
एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
मुकदमा नम्बर :- 15/2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 ग्रा.पं. रजवास में पेश हुयी। उभयपक्षों की उपस्थिति में पी.डी. रिपोर्ट तैयार होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश हुई। उभयपक्षों की सहमति से वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाड़ी से प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. जगदीश पुत्र गौरु मीरा बैवा गौरु कोम रैगर सा. रजवास

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
रजवास	1908/7	05-00

2. राजूलाल पुत्र केसरलाल कोम बैरवा सा. कस्बा निवाड़ी

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा
रजवास	1908/8	01-05

तहसीलदार निवाड़ी को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसबद मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

31/12/18  
उपखण्ड अधिकारी  
निवाड़ी जिला टोंक  
मध्य को0 रजवास